

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान/सुपौल/दरभंगा/औरंगाबाद ।

पटना, दिनांक:-

21-11-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2954 दिनांक-23.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 31 मार्च 2018 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	सिवान	01	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक-638 दिनांक-25.10.2017 के आलोक में स्व० सत्येन्द्र तिवारी, आश्रित श्री मोख्तार तिवारी(पिता), ग्राम-ढोढपुर, पो0-सिकटिया, थाना+प्रखण्ड-भगवानपुर हाट, जिला-सिवान के भुगतान हेतु ।
2	सुपौल	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, सुपौल का पत्रांक-275 दिनांक-09.10.17 के आलोक में स्व० महेन्द्र मेहता, आश्रित महादेवी देवी (माता), संगीता कुमारी(बहन) एवं रंजीता कुमारी (बहन), ग्राम-बेला सिंगार मोती, वार्ड नं0-9, थाना+प्रखण्ड-निर्मली, जिला-सुपौल के भुगतान हेतु ।
3	दरभंगा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, दरभंगा का पत्रांक-1018 दिनांक-10.10.2017 के आलोक में स्व० सहनवाज, आश्रित-कलीमुद्दीन (पिता) एवं सुलताना बेगम (माता), ग्राम+पो.-सनकन्हैया, प्रखण्ड-गौड़ाबौराम, जिला-दरभंगा के भुगतान हेतु ।
4	औरंगाबाद	05		500000/- (पाँच लाख)	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद का पत्रांक-626 दिनांक-07.06.17 के आलोक में 1. स्व० दिनेश कुमार मेहता, आश्रित रेखा कुंवर(पत्नी) ग्रा0-चोरहा, पो0-सिमरा, प्रखण्ड-कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद 2. स्व० विजय कुमार, आश्रित दौलती देवी(पत्नी) ग्रा0-रामचरण बिगहा, थाना+प्रखण्ड-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद 3. स्व० निरज कुमार, आश्रित रीना देवी (पत्नी) ग्रा0-गैनी, पो0-गैनी, थाना-खुदवां, प्रखण्ड-ओबरा, जिला-औरंगाबाद 4. स्व० रामप्रगास चौधरी, आश्रित समपुरन देवी(पत्नी) ग्रा0+पो0-ईटवां, थाना+प्रखण्ड-हसपुरा, जिला-औरंगाबाद 5. स्व० धर्मदेव यादव, आश्रित हेमलता सिन्हा(पत्नी) ग्रा0-डहरू बिगहा, पो0-तुर्क तेलपा, थाना-उपहारा, प्रखण्ड-गोह, जिला-औरंगाबाद के भुगतान हेतु ।
	कुल	08		800000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 8,00,000/- (₹ आठ लाख ) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फ़ैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि. दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

84

पटना, दिनांक

21-11-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

84

पटना, दिनांक-

21-11-17

\*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा पदाधिकारी-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-194 (श्रम पक्ष) दिनांक-20.06.17 एवं संयुक्त श्रमायुक्त-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-392 (श्रम पक्ष) दिनांक-14.11.17 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/17 श्र0सं0-

84

पटना, दिनांक

21-11-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।